

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या—
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा मरा जायेगा)

भाग—2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा मरा जाना है)
प्रस्ताव की राज्य क्रम सं.

7	परियोजना/स्कीम का नाम	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिंग द्वारा वर्ती-दुमरियांगंज रोड (एस0एच0-26) के किमी0 स्टोन सं0 397, के मध्य बांधी पटरी पर, खसरा संख्या-(77, 78 क, 79, 80 च 81) ग्राम—मलपुरवा, परगाना—रसूलपुर, तहसील—मानपुर, ज़िला—वर्ती (उत्तर प्रदेश)में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति।
(i)	राज्य	उत्तर प्रदेश
(ii)	ज़िला	वर्ती
(iii)	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी वन प्रभाग वर्ती।
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेन में)	0.07508 हेक्टेन
(v)	वन की कानूनों की स्थिति	संरक्षित वन भूमि (वर्ती-दुमरियांगंज मार्ग)
(vi)	हरियाली का धनत्व	0.2
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजना के संबंध में एफ0आर0एल0 और एफ0आर0एल0-2 मीटर पर परिणामना और एफ0आर0एल0 4 मीटर भी संलग्न किया जाए।	प्रस्तावित पेट्रोल पम्प में कोई वृक्ष वाधक नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र का संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	कोई भूक्षरण नहीं होगा।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित क्षेत्र मार्ग के किनारे का भाग है।
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणी अनुबंधित की जाए)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विषिष्ट प्रजातिया पायी जाती है यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हो तो तत्सम्बन्धी ब्योरा सक्षम पाधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्योरो के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	अपिहार्य एवं न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हो तो कार्य की अवधि दोषी है अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का अधिकारियों द्वारा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	लागू नहीं

10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	संलग्न है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में प्रबंधकीय टृटिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम-7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संयुक्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
12	विभाग / जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	2688 वर्ग मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	1979.77 हेठो
(iii)	प्रभाग में मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	मामलों की संख्या 8 अद्द क्षेत्रफल 136.3718 हेठो आरक्षित व संरक्षित वन भूमि में
(iv)	1980 में प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड वनीकरण सहित वन भूमि	176.19 हेठो
	(ख) वनेतर भूमि पर	रिक्त
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर	176.19 हेठो / 193787 पौध आरक्षित व संरक्षित वन भूमि पर
	(ख) वनेतर भूमि पर	11400 अद्द ब्रिकगार्ड में रोपण
13	प्रस्ताव का स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विषेष सिफारिश।	प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

तिथि— 21.06.2020

स्थान—बस्ती।

हस्ताक्षर— *NR*
नाम— प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
प/बस्ती